यू. पी. सहकारी एसपीजी मिल्स फेडरेशन लिमिटेड और अन्य

बनाम

राम प्रताप यादव और अन्य

5 अक्टूबर, 2007

[एच. के. सेमा और अल्टमास कबीर, जे. जे.]

सेवा कानूनः

यू. पी. स्टेट वस्त्र निगम लिमिटेड के नियमः

सहकारी कताई मिल के सचिव/महाप्रबंधक गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के लिए सेवाओं की समाप्ति उच्च न्यायालय ने 1975 के विनियमन 87 का पालन न करने के आदेश को रद्द कर दिया, नियम-बनाए रखे गएः अपराधी की सेवाएँ 1975 विनियम द्वारा शासित नहीं होती थीं, लेकिन यू.पी. राज्य वस्त्र निगम के नियमों द्वारा कताई मिलें एवं कपड़ा मिले एक-दूसरे के पूरक है। "कताई मिलें" "कपड़ा मिलों" के अंतर्गत आएंगी, उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया गया।

शब्द और वाक्यांशः

"स्पिनिंग मिल्स" का संयोजन।

उत्तरदाता नं.1, अपीलार्थी-यू.पी. के अधीन एक सहकारी कताई मिल में सचिव/महाप्रबंधक के रूप में काम कर रहा था। सहकारी कताई मिल्स फेडरेशन ने उत्तरदाता नं.1 के विरूद्ध एक विभागीय जांच के अनुसार की गई गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के विभिन्न आरोपों पर, उन्हें दिनांकित आदेश 9.5.1996 द्वारा सेवा से हटा दिया गया था। प्रतिवादी नं. 1 द्वारा दायर रिट याचिका से उसके निष्कासन को चुनौती दी, जिसमें उच्च न्यायालय ने अनुमति दी थी जिसमें कहा गया कि अपीलार्थी यू.पी. सहकारी संस्थान सेवा बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त नहीं की, जैसा कि यू. पी. कंपनी के विनियमन 87 द्वारा परिकल्पित है। परिचालन समिति कर्मचारी सेवा विनियम, 1975 दंड अधिरोपित करने के संबंध में।

संघ द्वारा दायर अपील में, इसके लिए तर्क दिया गया था अपीलार्थी कि उच्च न्यायालय ने गलत तरीके से इस आधार पर कार्यवाही की कि उत्तरदाता संख्या 1 की सेवाएँ 1975 के विनियमों द्वारा शासित थे। यह प्रस्तुत किया गया था कि 4.3.1983 दिनांकित प्रस्ताव द्वारा, यू. पी. सहकारी स्पिनिंग मिल्स फेडरेशन के कर्मचारी की सेवाएं 1975 के विनियमों के दायरे से बाहर कर दिया गया था और यू. पी. टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नियमों के तहत लाया गया।

न्यायालय ने अपील को अनुमति देते हुए, अभिनिर्धारित किया-

1.1 प्रत्यर्थी की सेवा यू.पी. सहकारी समितियों कर्मचारी सेवा विनियमों 1975 द्वारा शासित नहीं थी लेकिन यू. पी. स्टेट टेक्सटाइल लिमिटेड के नियमों के अनुसार है। विनियमों के प्रावधानों के अनुपालन का सवाल जो बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त करने के लिए प्रदान करता है, तत्काल मामला में उत्पन्न नहीं होगा। [पैरा 24] [692-जी-एच]

1.2 16 अक्टूबर, 1981 को राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना यह स्पष्ट करती है कि सहकारी वस्त् मिलों को 1975 के विनियमों के दायरे से बाहर रखा जाना था। 4 मार्च, 1983 को संघ द्वारा अपनाए गए बाद के प्रस्ताव यह हल करके स्थिति को और भी स्पष्ट कर दिया कि जब तक संघ अपने स्वयं के सेवा नियम, नियम बनाने में सक्षम था, उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम में प्रचलित को अपनाया जाना था, जैसे वे थे। इस प्रकार, 1975 के विनियम 4 मार्च, 1983 से संघ के कर्मचारी पर लागू नहीं होने वाले थे। यह तथ्य उच्च न्यायालय के ध्यान में नहीं लाया गया था, लेकिन ध्यान में रखते हुए इस तथ्य के लिए कि वही इस न्यायालय के ध्यान में लाया गया था, जारी रखें। यह नहीं कहा जा सकता कि मिलों को 1975 के विनियमों के संचालन से बाहर रखा गया था। मूल रूप से कताई मिल और कपड़ा मिल एक दूसरे के पूरक हैं और, इसलिए, "कताई मिलें" भी "कपड़ा मिलों" विवरण के तहत आएंगी। उच्च न्यायालय के विवादित आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है। हालांकि, प्रतिवादी से

सेवा से उनकी बहाली के बाद खाते में कोई वसूली नहीं की जाएगी। [अनुच्छेद 22,23 और 25] [692-सी, एफ, एच; 693-ए-बी]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील सं. 5279/2006.

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सिविल विविध याचिका सं. 51699/2000 में निर्णय और अंतिम आदेश दिनांकित 18.01.2005 से।

अपीलार्थियों की ओर से राकेश उत्तमचंद्र उपाध्याय।

वी. शेखर, यतीश मोहन और ई. सी. विद्या सागर उत्तरदाता।

न्यायालय का निर्णय अल्तमस कबीर, जे. द्वारा दिया गया था।

1. विशेष अनुमति के माध्यम से यह अपील है सिविल विविध मामले में इलाहाबाद में उच्च न्यायालय द्वारा 18 जनवरी, 2005 के फैसले और आदेश के खिलाफ निर्देश पारित किया गया। लेखन याचिका 2000 की सं. 51699, जिसके तहत आदेश को रिट याचिका में चुनौती दी गई थी। खारिज कर दिया गया और रिट याचिका को अनुमति दी गई।

2. जैसा कि अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री से पता चलता है, प्रतिवादी संख्या 1, श्री राम प्रताप यादव को महासचिव नियुक्त किया गया था। 24 जनवरी, 1990 को यू. पी. सहकारी स्पिनिंग मिल्स द्वारा फेडरेशन लिमिटेड (इसके बाद "फेडरेशन" के रूप में संदर्भित), जो उत्तर प्रदेश राज्य में विभिन्न सहकारी कताई मिलों का शीर्ष निकाय है। माउ-

आइमा इलाहाबाद के महाप्रबंधक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान स्पिन मिल के संबंध में उनके खिलाफ विभिन्न शिकायतें प्राप्त हुईं उन पर गंभीर वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाया गया है। उन पर 15 आरोपों वाला आरोप पत्र जारी किया गया था, जिसमें से जाँच अधिकारी ने पाया कि आरोप 1,4,11 और 14 पूरी तरह से साबित हुए हैं, यू. पी. सहकारी एसपीजी मिल्स फेडरेशन लिमिटेड और अन्य जबकि आरोप 3,8,9,12 और 13 को आंशिक रूप से साबित किया गया है। अन्य 6 शेष आरोपों को साबित नहीं किया गया। इसके बाद जांच रिपोर्ट अनुशासनात्मक प्राधिकरण के समक्ष रखी गई। जिसने पूछताछ अधिकारी की रिपोर्ट की पुष्टि करते हुए आरोप सं. 8 में कहा गया है कि यह पूरी तरह या आंशिक रूप से साबित नहीं हुआ है, को हटा दिया ।

3. उनके निष्कर्षों के आधार पर अनुशासनात्मक प्राधिकरण प्रत्यर्थी संख्या 1 को उत्तर प्रदेश सहकारी कताई मिल फेडरेशन लिमिटेड के 9 मई, 1996 के आदेश द्वारा सेवा से हटा दिया गया। तीन साल बाद 7 जुलाई, 1999 को प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष उनके निष्कासन को चुनौती दी गई थी। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दायर की गई उक्त अपील को अंततः 11 जुलाई, 2000 को खारिज कर दिया गया।

4. तथापि, यह कहा जा सकता है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 ने 1996 में एक रिट याचिका के माध्यम से अपने निष्कासन को चुनौती दी और फेडरेशन के सम्बन्धित प्राधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन करने की अनुमति के साथ इसका निपटारा कर दिया गया था। इसके बाद उन्होंने सिविल विविध रिट याचिका संख्या 51699/2000 के माध्यम से आदेश दिनांक 9 मई 1996 को चुनौती दी गई, जिसके द्वारा उन्हें फेडरेशन की सेवा से हटा दिया गया था।

5. प्रत्यर्थी संख्या 1/रिट याचिकाकर्ता का मुख्य तर्क रिट याचिका के पैराग्राफ 14,15,16 और 17 में निर्धारित किया गया था। जिसे तत्काल कार्यवाही में लगाए गए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले में निकाला गया है और यहां नीचे भी पुनः प्रस्तुत किया गया है। संदर्भः

> "14. कि याचिकाकर्ता की सेवाओं को छोड़ने से पहले यू. पी. सहकारी संस्थागत सेवा बोर्ड से अनुमति नहीं ली गई है। यू.पी. कंपनी की धारा 84 के साथ पठित विनियमन 87 द्वारा परिकल्पित का अनुमोदन परिचालन समिति कर्मचारी सेवा विनियम, 1975 प्राप्त किया।"
>
> 15. कि यू. पी. सहकारी संस्थागत सेवा बोर्ड उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा 122 (1) 4.3.1972 दिनांकित अधिसूचना के माध्यम से स्थापित किया

गया था। इस अधिसूचना में समितियों को विशेष रूप से निर्दिष्ट किया गया था कि सहकारी श्रेणियों के कर्मचारीयों के सम्बन्ध में यू.पी. सहकारी औद्योगिक सेवा बोर्ड को शक्ति प्रदान करता है।

16. कि उपरोक्त अधिसूचना में "शीर्ष स्तर की समितियाँ" शामिल हैं। शीर्ष स्तर के समितियों को 1965 की धारा 2 (1-4) के तहत परिभाषित किया गया है। ऐसी सहकारी समितियों को शामिल करने के लिए अधिनियम, जिनकी सदस्यता में कम से कम एक अन्य केंद्रीय सहकारी समिति शामिल है, जिसका संचालन क्षेत्र -पूरे यू. पी. को कवर करता है और जिसका प्राथमिक उद्देश्य है। सुविधा सुविधा हेतु 1965 अधिनियम की धारा 2(ए-4) नीचे दी गई हैः 2(ए-4) "सर्वोच्च समिति", "सर्वोच्च स्तरीय समिति" या "राज्य स्तरीय सहकारी समिति" का अर्थ है-

(1) यू.पी.राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड लखनऊ;

(2) यू. पी. सहकारी बैंक लिमिटेड, लखनऊ;

(3) यूपी को-ऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड, लखनऊ;

(4) प्रादेशिक सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेडए लखनऊ

(5) यू.पी.सहकारी संघ लिमिटेड, लखनऊ;

(6) उत्तर प्रदेश उपबक्ता सहकारी संघ लिमिटेड, लखनऊ;

(7) यू. पी. सहकारी शुगर फेडरेशन लिमिटेड

(8) यू. पी. केन यूनियन फेडरेशन लिमिटेड, लखनऊ;

(9) यू. पी. औद्योगिक सहकारी संघ लिमिटेड, कानपुर; या

(10) निम्नलिखित को पूरा करने वाली कोई अन्य केंद्रीय सहकारी समिति शर्तें:

(i) इसकी सदस्यता में व्यापार या व्यापार के एक ही समय में कम से कम एक अन्य केंद्रीय सहकारी समिति शामिल है; और

(ii) इसके संचालन का क्षेत्र पूरे उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है; और

(iii)इसका प्राथमिक उद्देश्य सामान्य सदस्यों के रूप में इससे संबद्ध सहकारी समितियों के संचालन को सुविधाजनक बनाना है।

17. कि सहकारी संस्थागत सेवा बोर्ड से अनुमोदन के अभाव में याचिकाकर्ता की सेवा की समाप्ति पूरी तरह से अधिकार के बिना और अवैध है।"

6. जैसा कि उपरोक्त अनुच्छेदों के पठन से प्रतीत होता है कि, सहकारी समितियाँ कर्मचारी सेवा विनियम, 1975 यू.पी. राजपत्र में प्रकाशन के बाद यू. पी. राज्य में लागू हुआ। असाधारण दिनांक 6 जनवरी, 1976 यह याचिकाकर्ता का मामला था कि उक्त विनियमों के विनियम

87 ने इसे संबंधित के लिए अनिवार्य बना दिया। सहकारी समितियाँ केवल पूर्व यूपी सहकारी संस्थागत सेवा बोर्ड के साथ बड़ा जुर्माना लगाएंगी। उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थान सेवा बोर्ड की सहमति। इसके संदर्भ के लिए विनियमन 87 को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

> "87. विनियमन संख्या 84 के खंड (1) के उपखंड (ई) से (जी) के तहत जुर्माना लगाने का आदेश को पूर्ववर्ती प्रावधानों के अलावा बोर्ड पूर्व सहमति के बिना पारित नहीं किया जाएगा।"

7. यह प्रत्यर्थी संख्या 1 का तर्क था कि जब से संघ ने उपरोक्त बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त नहीं की थी प्रत्यर्थी पर लगाई गई बर्खास्तगी की बड़ी सजा अमान्य थी और रद्द किए जाने योग्य थी।

8. माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने खुद को मुख्य रूप से संघ द्वारा विनियमन 87 के प्रावधान के गैर-अनुपालन के संबंध में इस प्रश्न तक ही सीमित रखा। जिसने प्रत्यर्थी सं 1 इस संबंध में। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि हालांकि यह अनुरोध किया गया था रिट याचिका में कि कोई उचित जांच नहीं की गई थी, उसे विशेष रूप से अस्वीकार नहीं किया गया था, और परिणामस्वरूप इस तरह के आरोप को अनिवार्य रूप से अस्वीकार किया जाना चाहिए। माना जाता है कि उसे स्वीकार कर लिया गया है।

9. उच्च न्यायालय ने यह भी दर्ज किया कि आदेशों से अनुशासनात्मक प्राधिकरण के साथ-साथ अपीलीय प्राधिकरण के आदेशों से यह स्पष्ट था कि उन्होंने प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा निर्धारित बचाव पर विचार नहीं किया और केवल पूछताछ अधिकारी की रिपोर्ट से सहमति व्यक्त की। उपरोक्त निष्कर्षों पर, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को स्वीकार कर लिया और रिट याचिका में आक्षेपित सेवा से हटाने का आदेश रद्द कर दिया। जिस पर उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश की शक्ति प्रत्यर्थी सं. 3 दिसंबर, 2005 को सेवा में बहाल किया गया था और वह जारी है। उनकी बहाली के बाद से संघ के साथ काम करना।

10. संघ ने उक्त फैसले और माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ हमारे समक्ष अपील की है।।

11. अपीलार्थी की ओर से यह प्रस्तुत किया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय ने गलत तरीके से इस आधार पर कार्यवाही की थी कि उत्तरदाता संख्या 1 यू.पी. सहकारी समितियां कर्मचारी सेवा विनियम 1975 द्वारा शासित था। जिसमें विनियम 87 शामिल है ऊपर उल्लेख किया गया है।

12. यह प्रस्तुत किया गया कि 4 मार्च, 1983 को आयोजित संघ का प्रबंधन समिति की पहली बैठक में सेवा नियमों संघ के कर्मचारियों को

चिकित्सा और अन्य भत्तों के साथ-साथ अग्रिम राशि को अपनाने पर विचार करने के लिए एजेंडा सं 10 को शामिल किया गया था। उक्त बैठक के कार्यवृत्त में इस संबंध में पारित प्रस्ताव में कहा कि एजेंडा इस प्रकार दर्ज किया गया थाः

> "यह तय किया गया है कि जब तक संघ अपना खुद का ढांचा तैयार करने में सक्षम नहीं हो जाता सेवा नियम, टी. ए., चिकित्सा, संघ के कर्मचारियों के लिए अन्य भत्ते और अग्रिम नियम, इस दिशा में प्रचलित नियम उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड को जैसा है वैसा ही अपनाया जा सकता है।"

13. तदनुसार, संघ के कर्मचारियों के सेवा नियमों को 1975 के विनियमों के दायरे से बाहर कर दिया गया और लाया गया 4 मार्च से यू. पी. राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड के नियमों के तहत,1983 .

14. यू. पी. राज्य वस्त्र निगम के उक्त नियमों के तहत नियम 4 में दंड लगाने का प्रावधान किया गया है। खंड बी उसके प्रमुख दंड को इंगित करता है, जो एक पर लगाया जा सकता है कर्मचारी, जिसमें सेवा से निष्कासन शामिल है, जो सामान्य रूप से नहीं होगा भविष्य के रोजगार के लिए अयोग्यता हो। उक्त नियमों में बर्खास्तगी का भी प्रावधान है, जो भविष्य में रोजगार के खिलाफ एक बाधा होगी।

15. नियम 14 मुख्य दंड लगाने की प्रक्रिया निर्धारित करता है और नियम 21 में अपील का प्रावधान है कि एक कर्मचारी आदेश की प्राप्ति की तारीख से विहित एक माह के भीतर उस पर किसी भी निर्धारित दंड को लागू करने के आदेश के खिलाफ याचिका दायर कर सकता है।

16. यह प्रस्तुत किया गया था कि जांच रिपोर्ट पर एक नज़र इंगित करें कि जांच निष्पक्ष रूप से आयोजित की गई थी और प्रतिवादी को उसके खिलाफ लगाए गए समस्त आरोपों के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करने पर और अभिलेख पर मौजूद सामग्रीयों पर विचार करने पर जांच अधिकारी ने प्रतिवादी के खिलाफ कुछ आरोप पूरी तरह से साबित हो गए थे और यह कि उनके खिलाफ कुछ आरोप आंशिक रूप से साबित हुए थे। जांच अधिकारी ने यह भी दर्ज किया कि शेष आरोप साबित नहीं हुए हैं। जाँच रिपोर्ट अनुशासनात्मक प्राधिकरण के समक्ष रखी गई। जहां तक आरोप संख्या 8 का संबंध है, पूछताछ अधिकारी के निष्कर्ष से असहमत था, और तदनुसार उक्त आरोप भी लगाया गया था प्रत्यर्थी के खिलाफ साबित नहीं किया गया है। यह प्रस्तुत किया गया था कि उच्च न्यायालय ने जांच रिपोर्ट या पारित आदेश पर चर्चा किए बिना अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा, बस एक अवलोकन किया कि वहाँ था उस संबंध में रिट याचिका में

किए गए कथनों का कोई विशिष्ट खंडन नहीं। दूसरी ओर, यह बताया गया कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष 3 से 6 ओर से दायर जवाबी हलफनामे के पैराग्राफ 8 में इसी तरह के आरोप से विशेष रूप से इनकार किया गया है और यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि यह समाप्ति आदेश था। प्रासंगिक सामग्रियों की उचित जांच के बाद और प्रत्यर्थी को पूरा अवसर देने के बाद पारित किया गया था । आगे यह प्रस्तुत किया गया कि वही कथन जवाबी हलफनामे के पैराग्राफ 9 में दोहराया गया था, जिसकी उच्च न्यायालय ने अनदेखी की प्रतीत होती है।

17. इसलिए यह आग्रह किया गया कि उच्च न्यायालय के आदेश के बाद से याचिकाकर्ता का मामला, वही 1975 के नियम कानून के प्रत्यर्थी की सेवा शर्तों को नियंत्रित करना गलत अनुप्रयोग पर पारित किया गया था, इसलिए अपास्त किये जाने योग्य है।।

18. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शेखर ने उपस्थित होकर सुझाव दिया कि यह 1975 विनियम जो प्रत्यर्थी पर लागू होते थे और कि उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में कोई त्रुटि नहीं की कि बोर्ड की पूर्व सहमति, विनियमन 87 के संदर्भ में, सेवा से हटाने का आदेश गलत था और इसे रद्द किया जा सकता था।

19. प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री शेखर ने प्रस्तुत किया कि 16 अक्टूबर, 1981 की अधिसूचना, जिसके द्वारा कपड़ा मिलों को 1975 विनियम के दायरे से बाहर रखा गया था, उच्च न्यायालय के ध्यान में नहीं लाए गए थे और किसी भी स्थिति में उसी ने कताई मिलों का उल्लेख नहीं किया, जैसे कि माउ आइमा कताई मिल, जहां प्रतिवादी को महासंघ द्वारा उनकी नियुक्ति के बाद सचिव/ महाप्रबंधक के रूप में तैनात किया गया था।

20. श्री शेखर ने 'कताई मिलों' और 'कपड़ा मिलों' के बीच अंतर करना चाहा और प्रस्तुत किया कि 16 अक्टूबर, 1981 की उपरोक्त अधिसूचना के बावजूद कताई मिलें 1975 के विनियमों और उच्च न्यायालय के दायरे में के अनुसार बनी हुई है, इसलिए उचित रूप से अभिनिर्धारित किया गया कि पूर्व सहमति के अभाव में बोर्ड, याचिकाकर्ता को सेवा से हटाने का आदेश अधिकार क्षेत्र के बिना पारित किया गया था।

21. अपनी ओर से प्रस्तुत प्रस्तुतियों पर सावधानीपूर्वक विचार करने पर 16 अक्टूबर, 1981 की अधिसूचना और पहली बैठक के कार्यवृत्त तारीख 4 मार्च, 1983 को आयोजित संघ के प्रबंधन की समिति उच्च न्यायालय के समक्ष रखा गया, उच्च न्यायालय ने इस समझ पर आगे नहीं बढ़े हैं कि 1975 के विनियम लागू होते हैं

प्रत्यर्थी को सेवा से हटाने का आदेश बोर्ड की पूर्व सहमति के बिना पारित किया गया था, उक्त विनियम का उल्लंघन था और इसलिए उक्त विनियम का उल्लंघन बनाए नहीं रखा जा सका।

22. राज्य द्वारा तारीख 16 अक्टूबर, 1981 को जारी अधिसूचना सहकारी वस्त्र कतई मिल्स को 1975 में विनिमय के बाहर रखा गया था। 4 मार्च, 1983 को फेडरेशन द्वारा अपनाए गए प्रस्ताव में यह तय करके स्थिति को और भी स्पष्ट कर दिया कि जब तक फेडरेशन अपने स्वयं के सेवा नियमावली बनाने में सक्षम नहीं हो जाता तब तक यूपी स्टेट टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में प्रचलित नियमों को अपनाया जाना था जैसे वे थे।

23. दूसरे शब्दों में, 1975 के विनियम 4 मार्च, 1983 से संघ के कर्मचारी पर लागू नहीं होने थे। हालांकि, श्री. शेखर ने यह रुख अपनाया था कि अक्टूबर, 1981 अधिसूचना के बावजूद 1975 के विनियम कताई मिलों पर लागू होते रहेंगे क्योंकि केवल सहकारी कपड़ा मिलों को 1975 के विनियम संचालन से बाहर रखा गया था। श्री शेखर ने हमें कताई मिलों और कपड़ा मिलों के बीच एक अंतर बनाने के लिए आमंत्रित किया, जिनकी हम सराहना करने में असमर्थ हैं, चूंकि मूल रूप से कताई मिलें और कपड़ा मिलें एक-दूसरे के पूरक हैं। हमारे विचार में, "कताई मिलें" भी "कपड़ा मिलों" के विवरण के तहत आएंगी।

24. इसलिए, हमें अपीलार्थी की ओर से कि गई प्रस्तुतियों से सहमत होने में कोई संकोच नहीं है कि प्रत्यर्थी की सेवा 1975 के विनियमों द्वारा नहीं बल्कि यू. पी. राज्य वस्त्र लिमिटेड के नियमों द्वारा शासित होती है। विनियम के प्रावधानों के अनुपालन का प्रश्न है जो बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त करने के लिए प्रावधान करते हैं, तत्काल मामले में उत्पन्न नहीं होंगे। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि न तो 16 अक्टूबर, 1981 की अधिसूचना और न ही 4 मार्च, 1983 को आयोजित संघ की बैठक के कार्यवृत्त उच्च न्यायालय को ध्यान में लाया गया था कि हम 1975 के त्रुटिपूर्ण आवेदन की अनुमति नहीं दे सकते हैं, लेकिन चूंकि यह हमारे संज्ञान में लाया गया है। नियम जारी रहेंगे।

25. हम, इसलिए अपील की अनुमति देते हैं और उच्च न्यायालय के आदेश को अपास्त कर देते हैं। हालाँकि, हम यह स्पष्ट करते हैं कि प्रतिवादी से उसकी सेवाओं की बहाली के बाद कोई वसूली नहीं की जाएगी।

26. इस मामले के विशिष्ट तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, संबंधित पक्षकार अपना खर्च स्वयं वहन करेंगे।

अपील की अनुमति दी

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी रेणू कुमार मीणा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।